न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, हापुड।

उपस्थितः वीरेश चंद्रा (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP1801)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1293/2026

UPHP010045002026

1. जाउल उर्फ जियाउल हक पुत्र रहीश उर्फ रईस, 2. मुकर्रम पुत्र सुलेमान 3. मौहम्मद जीशान पुत्र असलम निवासीगण ग्राम वैट, थाना सिंभावली जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

मु०अ०सं० 264/2025
धारा– 190, 191(2), 191(3), 333, 352, 351 351(2), 351 351(3) 115(2) 110बी0एन0एस0
थाना– सिंभावली
जिला–हापुड।

आदेश

दिनांकः 30.06.2026

आवेदक/अभियुक्तगण 1. जाउल उर्फ जियाउल हक पुत्र रहीश उर्फ रईस, 2. मुकर्रम पुत्र सुलेमान 3. मौहम्मद जीशान पुत्र असलम की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थी अभियुक्त को गांव की राजनैतिक पार्टीबाजी व चुनावी रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के विरूद्व जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। जो भी साक्षी दर्शित है, हितबद्व साक्षी है। घटना की दिनांक 13.08.2025 की रात्रि 9.00 बजे की बतायी गयी है, थाने की सूचना अगले दिन दिनांक 14.08.2025 को शाम 17.01 बजे दी गयी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब 20 घंटे की देरी से दर्ज करायी गयी है। जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है। अभियुक्तगण उक्त मुकदमें में धारा 35 (3)बी0एन0एस0 के तहत नोटिस/ जमानत पर है, तथा थाने से जमानत के उपरांत प्रार्थी/ अभियुक्तगण ने दौरान विवेचना पूर्ण सहयोग किया है, तथा जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। उपरोक्त मुकदमें में 07 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। प्रार्थी/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अग्रिम जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की गयी।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी/ वादी मुकदमा शमशाद पुत्र सगीर ग्राम वैट थाना सिंभावली जिला हापुड का निवासी है। प्रार्थी दिनांक 13.08.2025 को समय करीब रात्रि 9.00 बजे के आसपास अपने घर पर था, तभी घर के बाहर इमरान पुत्र रहीश, जाउल पुत्र रहीश, अब्दुल, पुत्र रहीश, मुक्करम पुत्र सुलेमान, जीशान पुत्र असलम व अब्दुल रहमान पुत्र भोलू उक्त सभी धारदार हथियारों से लैस होकर घर के बाहर खडें होकर गंदी गंदी गालिया देने लगे। जब प्रार्थी ने उक्त सभी से गाली देने से मना किया तो उक्त सभी हथियार लेकर जबरन प्रार्थी के घर मे घुसकर हमला कर दिया।

जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के भाई कासिम के सिर में काफी गंभीर चोटें आयी है। प्रार्थी को उक्त लोगों से अपनी व अपने परिवार वालों की जान का खतरा बना हुआ है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया तथा कथन किया कि अभियुक्तगण का अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत का कोई आधार नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि उक्त मुकदमें में अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा के साथ गाली गलौच करके मारपीट करने का आरोप है। अभियुक्तगण को थाने से ही अंतर्गत धारा 35 (3) बी0एन0एस0 पर जमानत पर छोडा गया है। अभियुक्तगण द्वारा थाने से ही दी गयी जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। उक्त मुकदमें में विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। उक्त मामले में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश एप्लीकेशन अंतर्गत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 नंबर 6400/2025 बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 12.08.2025** में दिये गये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों में, मेरिट पर बिना कोई मत दिये आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर सशर्त मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण 1. जाउल उर्फ जियाउल हक पुत्र रहीश उर्फ रईस, 2. मुकर्रम पुत्र सुलेमान 3. मौहम्मद जीशान पुत्र असलम अन्तर्गत को मुकदमा अपराध सं० 264/2025 अंतर्गत धाराः धारा– 190, 191(2), 191(3), 333, 352, 351 351(2), 351, 351(3), 115(2), 110 बी0एन0एस0 थाना सिंभावली जिला हापुड़ में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा रू 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक–एक जमानत संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन छोडा जाये–

2. अभियुक्तगण न्यायालय में प्रत्येक तिथि को उपस्थित होगें।

आदेश की प्रति संबंधित थाना/ न्यायालय को भेजी जाये।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय द्वितीय
हापुड।

Digitally signed by
VIRESH CHANDRA
Date: 2026.06.30
18:18:40 IST
Reason: B O
Location: District and
Sessions Court hapur